सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 पौष, 1944 (श०)

संख्या – 25 राँची, बुधवार, 18 जनवरी, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग |

संकल्प

2 दिसम्बर, 2022

संख्या-5/आरोप-1-74/2018-18325 (HRMS)--श्रीमती सीमा कुमारी, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा के विरूद्ध उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-55(i)/स्था०, दिनांक 10.07.2018 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

1. श्रीमती सीमा कुमारी, अंचल अधिकारी, सेन्हा के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान वर्ष 2014-15 में सेन्हा अंचल के मौजा बदला थाना नं० 148 के आर०एस० खाता नं० 519 प्लाट नं० 2080 रकबा 2.50 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि जो बुधवा उराँव पिता गोरा उराँव के नाम पर पूर्व में बन्दोबस्त है तथा उनके नाम से जमाबन्दी भी कायम थी, का दाखिल खारिज सुरेश महतो पिता स्व० बासुदेव महतो के नाम पर दिनांक 21.10.2014 को किया गया, जिससे बन्दोबस्तधारी बुधवा उराँव के उत्तराधिकारियों को बन्दोबस्त भूमि से बेदखल होना पड़ा ।

2. श्रीमती सीमा कुमारी के द्वारा उक्त भूमि की रक्षा के लिए नियमसंगत कार्रवाई करने के बजाय सरकारी भूमि हड़पने वालों के पक्ष में दाखिल खारिज किया गया जिससे सरकारी भूमि की क्षति हुई है।

3. श्रीमती सीमा कुमारी के द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 (1)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6608, दिनांक 29.08.2018 द्वारा श्रीमती कुमारी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिस पर इनके द्वारा विभाग में अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्रीमती कुमारी के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, लोहरदगा के पत्रांक-71(i)/स्था०, दिनांक 27.06.2019 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

श्रीमती कुमारी के विरूद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, लोहरदगा के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०-26946 (HRMS), दिनांक 22.11.2019 द्वारा श्रीमती कुमारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई है। विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-592, दिनांक 14.09.2020 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें जाँच पदाधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध प्रपत्र-'क' में गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-6553, दिनांक 15.12.2020 द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-112(9)/रा०, दिनांक 18.01.2022 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अपने मंतव्य अंकित किया गया कि- "प्रश्नगत दाखिल खारिज वाद में बन्दोबस्तधारी के वंशजों के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी। तत्कालीन अंचल अधिकारी, सेन्हा के द्वारा हाल सर्वे के आधार पर दाखिल खारिज को आधार बताया गया है। चूँकि पूर्व से यह भूमि गैरमजरूआ खाते की थी। इस प्रकार किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर सर्वे में भूमि प्रविष्ट किये जाने संबंधी सूचना तत्कालीन अंचल अधिकारी, सेन्हा को वरीय पदाधिकारी को देनी चाहिए थी। साथ ही बन्दोबस्त पंजी के आधार पर भी नामांतरण/दाखिल खारिज का निर्णय लिया जाना चाहिए था। अतः श्रीमती सीमा कुमारी, झा०प्र०से०, (तृतीय बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा का कृत्य तकनीकी रूप से सही हो सकता है, परंतु उपर्युक्त कंडिका-2 में वर्णित तथ्यों में उनकी असंवेदनशीलता परिलक्षित होती है ।"

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उस पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्रीमती कुमारी के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया है। उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-3688, दिनांक 17.06.2022 द्वारा इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई है। इसके अनुपालन में श्रीमती कुमारी के पत्रांक-601, दिनांक 11.07.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया ।

श्रीमती कुमारी द्वारा पूर्व में समर्पित प्रथम कारण पृच्छा (बचाव बयान) के तथ्यों को ही द्वितीय कारण पृच्छा में रखा गया। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा समर्पित नये तथ्य निम्नवत् है-

"It is not in dispute that as per Section 83(2) of the Chhotanagpur Tenancy Act, 1908, the Settlement Officer, Gumla - Ranchi, on 31.03.1993, has finally published the survey khatian of the land in dispute on the basis of the report submitted by the report prepared by the District Survey Department i.e. why one or many persons and

the same was notified and published by the Joint Secretary, Land Reforms, Revenue Department, Jharkhand, Ranchi, vide memo no. 9/Survey (Notification, Ranchi Settlement) 154/2005-302/Survey on 25.09.2006 (Enclosure-D to the reply dated 20.01.2020) which was not objected any of the authority concerned prior to 18.05.2012 before my joining at Senha Circle, Lohardaga, and no proceeding has been initiated against any of the authority who has published the survey report or published the new survey khatian, but, while acting as a quasi judicial authority on the basis of the record, I have passed the order, made scapegoat from your Good Office, is quite unseen in law, if although not admitted any mistake has been done on my part, then the whole system is being responsible for the same and I alone cannot be punished on the principle of parity in treatment. It is not in dispute that I am not the maker of the survey khatian nor anyway indulged in publication of survey report and act on the basis of the report which was there in the custody of the undersigned.

So far as other part is concerned regarding non-acting of mine as per according to law, I say that which law has been violated by me has not been disclosed inspite of my repeated request right from the very beginning of the departmental proceeding. The fact is amply clear that I was not the member of the Survey Department nor the khatian has been prepared by me, even the same was not published under my signature, so the officers who are responsible for the same because of whose negligence, the wrong survey report has been prepared, they must be punished and I cannot be blamed a one for the same at all, it is worth while to mention here that prior to my joining on 19.05.2012 at Senha Circle, Lohardaga, many Circle Officers have come and go, and nobody has pointed out the illegalities/wrong committed while publishing the survey notification on 25.09.2006. but initiation of departmental proceeding against me on the charge that the illegalities which has been committed in the year 2006 has not been brought to the knowledge of the court as per according to law cannot be said to be just and fair.

It is relevant to mention here that the Court of Hon'ble Commissioner, Lohardaga, in Mutation Revision No. 06 of 2018-19 on December, 2020, has been pleased to stay the order passed by the undersigned and the order passed by the Land Reforms Deputy Collector, Lohardaga, till the final order is being passed by the concerned civil court. meaning thereby the Hon'ble Commissioner has also not given the clear finding in the dispute for which departmental proceeding is pending against me, so in the interest of justice, the departmental proceeding may be dropped by your Good Office taking into consideration that if at all any mistake has been committed by me, the same was not deliberate, intentional, but, by mistake, so till

the final order comes from the Civil Court concerned regarding the right title and interest of the parties, the departmental proceeding initiated against me be dropped, taking into consideration that by mistakenly the order has been passed by me not intentionally, even no objection has ever been raised after notification of the survey in the year 2006 by any of the parties.

I, therefore, humbly pray that the statement which has been given by me shall be verified from your Good Office in the interest of justice, so that the truth may come out which gave rise to the above conspiracy resulted in the initiation of departmental proceeding against me and because of this departmental proceeding, my promotion has been withheld while others have been given promotion."

श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) श्रीमती सीमा कुमारी द्वारा अपने द्वितीय कारण पृच्छा में उन सारे तथ्यों को पुनः समर्पित किया गया है, जो उनके द्वारा पूर्व के कारण पृच्छा में समर्पित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में मुख्य रूप से यह प्रतिवेदित किया गया है कि इनके अंचल अधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा में पदस्थापन दिनांक 19.05.2012 के पूर्व किसी भी संबंधित प्राधिकार द्वारा प्रकाशित सर्वे खतियान पर आपत्ति नहीं की गई एवं प्रकाशित हाल सर्वे खतियान से संबंधित किसी भी पदाधिकारी पर अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की गई है। यदि किसी भी स्तर पर गलतियाँ हुई है तो इसके लिए पूरा सिस्टम जिम्मेवार है ।

(ii) उनके द्वारा प्रतिवेदित है कि प्रकाशित हाल सर्वे खतियान में दर्ज रेकर्ड के आधार पर ही उनके द्वारा दाखिल खारिज की गई है। अगर हाल सर्वे खतियान में किसी भी प्रकार की त्रुटि थी, तो उसे पूर्व के किसी भी पदाधिकारी द्वारा सुधार करने का प्रयास नहीं किया गया है। अर्थात अगर वे दोषी हैं, तो हाल सर्वे खतियान के प्रकाशन से संबंधित पदाधिकारी भी दोषी है। उनका यह भी तर्क हैं कि रिविजन दाखिल खारिज वाद सं0-06/18-19 में उपायुक्त, लोहरदगा द्वारा भी उनके एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा पारित उक्त दाखिल खारिज आदेश के विरूद्ध कोई आदेश पारित न कर उसे जिला न्यायालय में अंतिम आदेश पारित होने तक स्थगित रखा है। अर्थात उपायुक्त का भी इस मामले में स्पष्ट निर्णय (Finding) नहीं है, जिसके लिए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन/लंबित है।

श्रीमती सीमा कुमारी द्वारा समर्पित उक्त सारे तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि दाखिल खारिज अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा उक्त वाद की कार्रवाई मात्र दो तिथि (मात्र 6 दिनों) में ही पूर्ण कर लिया गया है, जबकि आपत्ति प्राप्त होने पर दाखिल खारिज निष्पादन हेतु 90 दिनों की अवधि तक समय सीमा निर्धारित है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपत्तिकर्ता को समुचित अवसर दिये बिना काफी जल्दी में उक्त दाखिल खारिज वाद का निष्पादन किया गया है ।

(iii) दाखिल-खारिज हेतु हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में अंकित है कि सेन्हा अंचल अंतर्गत राजस्व ग्राम-बदला, थाना नं॰-148, खाता नं॰-519, प्लॉट नं॰-2080, रकबा-12.18 एकड़ आर॰एस॰ खतियान में गैरमजरूआ मालिक दर्ज है। उक्त प्लॉट पंजी-II में बुधवा उराँव वगैरह के नाम से दर्ज है। वर्तमान में उक्त प्लॉट पर जमाबंदी रैयत बुधवा उराँव के वंशज बिनोद उराँव, फागु उराँव आदि का दखल कब्जा है। वर्तमान समय में दखलकार रैयत द्वारा धान का फसल लगाया गया है। अतः आवेदक सुरेश महतो, पिता-वासुदेव महतो के नाम से दाखिल-खारिज करना सही

प्रतीत नहीं होता है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के उक्त प्रतिकूल प्रतिवेदन के पश्चात भी आरोपी पदाधिकारी द्वारा मात्र इस आधार पर उक्त भूमि का नामांतरण श्री सुरेश महतो के नाम से की गयी है कि उक्त भूमि नीलमणि सहदेव के नाम से हाल सर्वे में दर्ज हो गया है एवं उक्त भूमि आवेदक सुरेश महतो को deed के मार्फत नीलमणि द्वारा बिक्री की गयी है, जो गलत है। वस्तुतः ऐसा प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सम्पूर्ण दस्तावेजों की जाँच करते हुए उक्त सरकारी भूमि जो बुधवा उराँव के नाम से बंदोबस्त थी, का हाल सर्वे खतियान में अंकित प्रविष्टि के सुधार हेतु आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जो श्रीमती कुमारी द्वारा नहीं की गई ।

अतः समीक्षोपरांत श्रीमती सीमा कुमारी, झा०प्र०से० (तृतीय बैच), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती सीमा कुमारी, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	**Employee Name** **G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	SEEMA KUMARI 110061163093	श्रीमती सीमा कुमारी, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन अंचल अधिकारी, सेन्हा, लोहरदगा के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अंतर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 25 -- 50